

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -	श्रीगढ़- हतोली
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	धौली
(iii) जिला वन प्रभाग	कंदरनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.788 है०
2. पूर्वक्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रई वन भूमि की विधिक प्रारिथति	आरक्षित वन भूमि
3. उपयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा:	सलग्न।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि (कलसीर रिजर्व)
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	सलग्न।
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा	सलग्न।
4. भूकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूकरण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0 किमी०
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा :	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही शूकर, मार्टन, 225 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ आदि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्पन्नवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही शूकर, मार्टन, 225 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ आदि।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिस्मात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायद किए जाने के लिए स्थान प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्योरा दें)	नहीं
8. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :	निम्नानुसार
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सफाई किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	यचित्त भूमि न्यूनतम है
9. किए गए अतिक्रमण के व्योरे :	नहीं
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन नागरिकों के सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्भूत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	लागू नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	संलग्न है।
10. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के व्योरे :	सिगिल सोयम भूमि
(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिगिल सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए और वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्योरे दें।	संलग्न
(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए और वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न।
(iv) सेपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के व्योरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न
(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न।
(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न।
11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कृषिकलाओं के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकार में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न।
12. स्वीकृति या अन्धथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	वन भूमि हस्तान्तरण को संस्तुति की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर

तारीख: 07-11-2015

उपवन संरक्षकीय मुद्रा
केदारनाथ वन-जीव प्रभाग
गोपेश्वर